न्यायालय परगना मजिस्ट्रेट, काशीपुर जिला उधमसिंहनगर।

फौजदारी वाद संख्या 04 वर्ष 2025 अर्न्तगत धारा–152 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहित

वादीगण– उत्तराखण्ड सरकार

बनाम

प्रतिवादीगणः– कब्रिस्तान कमेटी, अल्ली खॉ, तहसील काशीपुर

निर्णय

तहसीलदार, काशीपुर, सहायक नगर आयुक्त, नगर निगम काशीपुर, सहायक चकबन्दी अधिकारी काशीपुर, सहायक अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, काशीपुर, राजस्व उप निरीक्षक, क्षेत्र बैलजूड़ी काशीपुर ए चकबन्दी लेखपाल, क्षेत्र बैलजूड़ी काशीपुर द्वारा प्रस्तुत संयुक्त जॉच रिपोर्ट दिनांक 28.04.2025, जिसमें उनके द्वार सार्वजनिक रास्ते पर अवैध रूप से गेट का निर्माण किये जाने की आख्या प्रेषित की गयी है, से सहमत होते हु उक्त फौजदारी वाद संख्या 04 वर्ष 2025 अन्तर्गत धारा 152 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, दिनांक 28.04.202 को निर्गत सशर्त आदेश के आधार पर संस्थित हुआ।

फौजदारी वाद संख्या–04 वर्ष 2025 में प्रस्तुत तहसीलदार, काशीपुर, सहायक नगर आयुक्त, नग निगम काशीपुर, सहायक चकबन्दी अधिकारी, काशीपुर, सहायक अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, काशीपुर, राजस्व उप निरीक्षक, क्षेत्र बैलजूड़ी काशीपुर एवं चकबन्दी लेखपाल, क्षेत्र बैलजूड़ी काशीपुर की संयुक्त जॉच रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि जॉच के दौरान पाया गया कि प्रश्नगत निर्माणाधीन गेट ग्राम बैलजूड़ी, तहसील काशीपु के खसरा संख्या 593 जो कि जर्ग–6(2) रास्ते के रूप में दर्ज अभिलेख है, मे निर्माणाधीन है, उक्त रास्ते की चौड़ाइ अभिलेखानुसार (सजरे मे) 06.00 मीटर है। उक्त भूमि सार्वजनिक मार्ग मे है। मौके पर सार्वजनिक मार्ग मे अनाधिकृत रूप से गेट का निर्माण बिना किसी अनुमति के किया जा रहा है, जिससे यातायात भी प्रभावित हो रह है। उक्त गेट का निर्माण 02.50 मीटर रास्ता छोड़ते हुए 03.50 मीटर रास्ते की भूमि पर किया जा रहा है, जिससे गंगे बाबा मुख्य रोड से अल्ली खॉ चौकी, लक्ष्मीपुर पट्टी को जाने वाला मार्ग/रास्ता अवरूद्ध हो गया है तथा प्रश्नगत निर्माणाधीन गेट से चकमार्ग/रास्ते की लगभग 03.50 मीटर चौड़ाई अतिक्रमित हो गयी है, अतिक्रमित गेट का निर्माण मौके पर पूछताछ करने पर लोगों द्वारा अवगत कराया गया है कि कब्रिस्तान कमेटी अल्ली खॉ (जो कि अपंजीकृत है) के द्वारा कराया जा रहा है। उक्त निर्माणाधीन गेट/अवैध सरंचना से सार्वजनिक मार्ग अतिक्रमित हो रहा है तथा गेट बनाकर रास्ते को छोटा कर दिया गया है, जिससे दुर्घटना की सम्भावना से इंकार नही किया जा सकता है, जो कि लोक न्यूसेन्स की श्रेणी में आता है। उक्त को दृष्टिगत रखते हुए संयुक्त जॉच रिपोर्ट में उक्त निर्माणाधीन अवैध गेट/सरचना को मौके से हटाये जाने की आख्या प्रेषित की गयी है।

तदकम में विपक्षीगणों को नोटिस जारी करते हुए दिनांक 05.05.2025 तक उक्त सार्वजनिक रास्ते पर किये गये लोक न्यूसेन्स को हटाते हुए अतिक्रमण मुक्त करने अन्यथा दिनांक 05.05.2025 को इस न्यायालय मे उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया गया।

दिनांक 05.05.2025 को विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर प्रश्नगत वाद में आपत्ति पेश किये जाने हेतु समय चाहा गया। विपक्षी को पुनः दिनांक 07.05.2025 तक अपनी आपत्ति पेश किये जाने हेतु समय प्रदान किया गया। विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिनांक 07.05.2025 को पुनः पेश होकर अपनी ओर से आपत्ति पेश किये जाने हेतु समय चाहा गया। चूकि प्रकरण लोक न्यूसेन्स से सम्बन्धित हाने के कारण सरकार की ओर से गवाही हेतु दिनांक 08.05.2025 की तिथि नियत की गयी। सरकार की ओर से तहसीलदार, काशीपुर, सहायक चकबन्दी अधिकारी, काशीपुर, राजस्व उप निरीक्षक, क्षेत्र बैलजूड़ी काशीपुर एवं चकबन्दी लेखपाल, क्षेत्र बैलजूड़ी काशीपुर द्वारा उपस्थित होकर अपने बयान दर्ज कराये गये। तदोपरान्त विपक्षी को आपत्ति पेश किये जाने हेतु दिनांक 09.05.2025, दिनांक 13.05.2025 एवं दिनांक 19.05.2025 की तिथि नियत की गयी। दिनांक 19.05.2025 को विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर अपनी आपत्ति पेश की गयी। विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपनी आपत्ति में उल्लिखित किया गया है कि बन्दा कब्रिस्तान मौहल्ला अल्ली खॉ मे 100 वर्षो से भी अधिक से मौजूद है और काशीपुर के मुस्लिम समुदाय के लोग दफन किये जाते हैं। बन्दा कब्रिस्तान अल्लीखॉ काशीपुर के बीच मे एक कच्ची लीग बनी हुयी थी, जो करीब 6–7 फिट की थी, इस कच्ची लीग में किसी भी प्रकार का कोई वाहन नही गुजरता था। समय बीतते यह कच्ची लीग पक्की हो गयी और यह वर्तमान में लगभग 10–11 फिट है। वर्तमान मे भी बडे वाहन बन्दा कब्रिस्तान अल्लीखॉ काशीपुर के बीच से होकर नही गुजरते है, मोटर साईकिल व

कार, छोटा हाथी व पिक अप टाईप वाहन आसानी से आते जाते है। शहर के सम्मानित लोगों ने आपसी सहमति से यह तय किया कि कब्रिस्तान का गेट 8.2 फिट का बनाया जाय। जिससे बडे वाहन कब्रिस्तान से होकर न गुजरे, इन सब की सहमति से गेट का निर्माण किया गया। कब्रिस्तान कमेटी अल्लीखॉ ने चकमार्ग/रास्ते की लगभग 03.50 मीटर यानि 11.8 फिट भूमि अतिक्रमित नहीं है। वर्तमान में कब्रिस्तान में जो आवागमन का रास्ता मौजुद है वह लगभग 10–11 फिट है, 18 फिट का नहीं है। बन्दा कब्रिस्तान अल्लीखॉ काशीपुर के बीच में जो रास्ता वर्तमान मे लगभग 10–11 फिट का है उसके दोनो और कब्र बनी है, यदि बडे वाहन को कब्रिस्तान के बीच से निकलन की अनुमति दी जाती है, तो रास्ते के दोनों और बनी कब्रे टूट जायेगी तथा कब्रे के दफन व्यक्ति के मृत शरीर बेहुरमति होगी, और धार्मिक भावना को ठेस पहूंचेगी। कब्रिस्तान की भूमि कब्रिस्तान की ही रहेगी इसको किसी भी रूप में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। बन्दा कब्रिस्तान अल्लीखॉ काशीपुर के गेट का निर्माण शहर के सम्मानित लोगो की सहमति से किया गया है और यह गेट किसी भी प्रकार से सार्वजनिक मार्ग व सार्वजनिक भूमि का अतिक्रमण नहीं करता, न ही पब्लिक न्यूसेन्स पैदा करता है। उक्त के कारण विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा धारा 152(1) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत जारी सशर्त प्रारम्भिक आदेश को निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

तत्क्रम में विपक्षीगणों को साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने हेतु दिनाक 20.05.2025 दिनांक 21.05.2025 एव दिनांक 22.05.2025 की तिथि नियत की गयी। दिनांक 22.05.2025 को विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा पेश होकर साक्ष्य के रूप में अपनी ओर से कार्यवाही पालिका बोर्ड बैठक दिनांक 12.04.20212 की प्रस्ताव की सत्यप्रति, ग्राम बैलाजूडी, काशीपुर की फसली 1404–1409 की खतौनी, जो0च0आकार पत्र–23 की सत्यप्रति, बैठकीय राजीनामा दिनांक 12.09.2006 की छायाप्रति, कब्रिस्तान के गेट की फोटोग्राफ, सोसाईटी रजिस्ट्रेशन का प्रमाण पत्र की छायाप्रति एवं आधार कार्ड की छायाप्रति प्रस्तुत की गयी एवं सरकारी गवाहो से जिरह किये जाने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। सरकारी गवाहों से जिरह हेतु दिनांक 23.05.2025 की तिथि नियत की गयी। उक्त तिथि को विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जिरह की गयी जो कि पत्रावली में शा0मि0 की गयी है।

जिरह उपरान्त वाद में बहस किये जाने हेतु दिनाक 26.05.2025 की तिथि नियत की गयी। दिनाक 26.05.2025 को विपक्षी की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता उपस्थित हुए। सरकार की ओर से सहायक अभियोजन अधिकारी, काशीपुर उपस्थित रहे। प्रश्नगत प्रकरण में दोनों पक्षों की बहस को सुना गया। विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा निम्न कथन किये गये:–

1– विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया है कि प्रारम्भिक आदेश जारी करते हुए वाद मे शिकायतकर्ता को पक्ष नही बनाया गया है जबकि प्रारम्भिक आदेश जारी करते हुए शिकायतकर्ता को भी पक्ष बनाया जाना चाहिए।

2– विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया है कि उपरोक्त वाद में अवैध निर्माण के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की दुर्घटना होने सम्बन्धी कोई प्रकरण प्रकाश में नही आया है जिस कारण अन्तर्गत धारा 152 बी0एन0एस0एस0 जारी किये गये नोटिस को निरस्त किया जाना उचित है।

3– विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया है कि उनके द्वारा दाखिल समझौतेनामें के आधार पर उक्त गेट का निर्माण नगर पालिका द्वारा किया गया था, जिसके उपरान्त नगर पालिका द्वारा निर्मित गेट के टूट जाने के पश्चात् कब्रिस्तान कमेटी द्वारा बिना किसी की अनुमति के ही उक्त गेट का निर्माण पुनः कराया गया है।

सरकार की ओर से पैरवी हेतु उपस्थित सहायक अभियोजन अधिकारी द्वारा कथन किये गये कि:–

1– विपक्षी के अधिवक्ता द्वारा यह कहा जाना कि प्रश्नगत वाद में शिकायतकर्ता को भी पक्ष बनाया जाना चाहिए उचित नही है क्योकि संयुक्त जॉच आख्या के अनुसार उक्त प्रश्नगत अवैध निर्माण सरकारी भूमि पर किया गया है जिसमे सरकार स्वतः ही संज्ञान लेते हुए उक्त सरकारी भूमि से अवैध अतिक्रमण को हटाने की कार्यवाही कर सकती है। उक्त के सम्बन्ध में सहायक अभियोजन अधिकारी द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 152 का वर्णत किया गया, जो कि निम्नवत् है:–

जब किसी जिला मजिस्ट्रेट या उपखंड मजिस्ट्रेट का या राज्य सरकार द्वारा इस निमित विशेषतया सशक्त किसी अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट का किसी पुलिस अधिकारी से रिपोर्ट या अन्य इत्तिला प्राप्त होने पर और ऐसा साक्ष्य (यदि कोई हो) लेने पर, जैसा वह ठीक समझे, (1) विपक्षी ऐसी बाधा या न्यूसेन्स को हटा दें, या यदि वह ऐसा करने में आपत्ति करता है तो वह स्वयं उसके समक्ष या उसके अधीनस्थ किसी अन्य

कार्यपालक मजिस्ट्रेट के समक्ष उस समय और स्थान पर, जो उस आदेश द्वारा नियत किया जाएगा, हाजिर हो और इसमें इसके पश्चात् उपबन्धित प्रकार से कारण दर्शित करे कि उस आदेश का अंतिम क्यों न कर दिया जाए।

2– विपक्षी के अधिवक्ता द्वारा यह कथन किया जाना कि उपरोक्त वाद मे अवैध निर्माण के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की दुर्घटना होने सम्बन्धी कोई प्रकरण प्रकाश में नही आया है जिस कारण अन्तर्गत धारा 152 बी0एन0एस0एस0 जारी किये गये नोटिस को निरस्त किया जाए, उचित नहीं है क्योंकि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 152(1) में प्राविधानित किया गया है कि–

"किसी लोक स्थान या किसी मार्ग, नदी या जलसरणी से, जो जनता द्वारा विधिपूर्वक उपयोग में लाई जाती है या लाई जा सकती है, कोई विधिविरूद्ध बाधा या न्यूसेन्स हटाया जाना चाहिए"

सहायक अभियोजन अधिकारी द्वारा कथन किया गया कि चूकि संयुक्त जॉच आख्या में उल्लिखित किया गया है कि उक्त अवैध अतिक्रमण से दुर्घटना होने की सम्भावना है एवं उक्त रास्ता जिस पर अवैध अतिक्रमण किया गया है, वह आगे कॉलोनी तक जाता है, जिस कारण किसी दुर्घटना के समय यदि कोई बडा वाहन जैसे एम्बुलेन्स आदि वहॉ से गुजरता है तो अवैध अतिक्रमण के कारण रास्ता बन्द होने से वहॉ से नहीं गुजर सकता है। अतः भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 152(1) के तहते उक्त अवैध अतिक्रमण को वहॉ से हटाया जाना न्यायोचित है।

3– विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह कथन किया जाना कि उनके द्वारा दाखिल समझौतेनामें के आधार पर उक्त गेट का निर्माण नगर पालिका द्वारा किया गया था, जिसके उपरान्त नगर पालिका द्वारा निर्मित गेट के टूट जाने के पश्चात् कब्रिस्तान कमेटी द्वारा बिना किसी की अनुमति के ही उक्त गेट का निर्माण पुनः कराया गया है उचित नहीं है। चूकि पत्रावली में विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दाखिल किया गया समझौतानामा प्रमाणित नहीं है, साथ ही यदि उक्त समझौतेनामें के आधार पर नगर पालिका द्वारा गेट का निर्माण किया भी गया है, तो उक्त पुराने गेट के टूट जाने के पश्चात् सरकारी भूमि पर नया गेट निर्माण किये जाने से पूर्व सक्षम अधिकारियों की स्वीकृति लिया जाना आवश्यक है।

मेरे द्वारा विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता एवं सरकार की ओर से पैरवी हेतु सहायक अभियोजन अधिकारी की बहस को सुना गया एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। अवलोकन उपरान्त पाया गया कि ग्राम बैलजूडी, तहसील काशीपुर के जो0च0आकार पत्र–23 (भाग–1) में खसरा संख्या 593/1 रकबा 0.190 है0 वर्ग–6(2) रास्ते के नाम दर्ज अभिलेख है। संयुक्त जॉच आख्या में भी उल्लिखित किया गया है कि उक्त निर्माणाधीन गेट ग्राम बैलजूडी, तहसील काशीपुर के खसरा संख्या 596 जो कि वर्ग–6(2) रास्ते के नाम दर्ज है पर सार्वजनिक मार्ग में अनाधिकृत रूप से निर्माणाधीन है। विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा भी अपने साक्ष्य में खसरा नं0 593/1 रकबा 0.190 है0 की खतौनी (जो0च0आ0पत्र–23) प्रस्तुत किया गया है एवं यह माना है कि उक्त खसरा नं0 रास्ते के रूप में दर्ज अभिलेख है किन्तु विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपने द्वारा प्रस्तुत की गयी आपत्ति मे एवं साक्ष्य में कहीं भी यह उल्लेख नहीं किया गया है कि उक्त प्रश्नगत निर्माणाधीन गेट रास्ते की भूमि पर नहीं बना है। चूकि विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा भी यह कथन नहीं किया गया है कि उक्त निर्माणाधीन गेट सार्वजनिक रास्ते पर नहीं बना है एवं संयुक्त जॉच आख्या से भी यह स्पष्ट होता है कि उक्त निर्माणाधीन गेट सार्वजनिक रास्ते पर ही बना है, जिस कारण सार्वजनिक रास्ते पर किसी भी प्रकार का अवैध निर्माण किया जाना एवं अवैध रूप से गेट का निर्माण कर वाहनों को रोका जाना न्यायोचित नही है। इसके अतिरिक्त मा0 उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड, नैनीताल द्वारा रिट पिटीशन संख्या 192 (पी0आई0एल0)/2024 सुनील यादव बनाम उत्तराखण्ड सरकार में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा निम्न आदेश पारित किये गये है:–

We, therefore, dispose of the writ petition by directing District Magistrate, Udham Singh Nagar to constitute a committee consisting of not less than three senior officers, which shall look into the complaints regarding encroachment, not only in Tehsil Sitarganj, but , in all Tehsils of District Udham Singh Nagar, within four months from date of constitution of such committee. We hope and expect that District Magistrate shall constitute the committee, within ten days from receipt of certified copy of this order. Based on the report of committee, the competent authority shall take necessary steps, for removing encroachment from public land,

after giving fifteen days notice to the persons, found to be in encroachment over public land The encroachment shall be removed, but, only after considering the reply, if any, submitted by concerned persons, found to be in encroachment over public land. This court hopes and expects that this entire exercise shall be completed, eithin eight months.

साथ ही चूंकि उक्त अवैध निर्माण किसी के आवास/घर से सम्बन्धित नहीं है ताकि उक्त निर्माण को हटाये जाने में किसी को व्यक्तिगत क्षति पहुँचे एवं संयुक्त जॉच आख्या में भी यह उल्लेख किया गया है कि उक्त अवैध अतिक्रमण से दुर्घटना होने की भी सम्भावना है, जिस कारण सार्वजनिक रास्ते पर हो रहे उक्त अवैध अतिक्रमण को हटाया जाना उचित पाता हूँ।

अतः भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत इस न्यायालय द्वारा जारी सशर्त आदेश अंतर्गत धारा 152(1)भा0ना0सु0सं0 को अंतिम किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः सशर्त आदेश अंतर्गत धारा 152 द0प्र0स0 दिनांक 14.01.2025 की पुष्टि करते हुए सशर्त आदेश को अंतिम किया जाता है कि कब्रिस्तान कमेटी, अल्लीखॉं, काशीपुर को निर्देशित किया जाता है कि वह सार्वजनिक मार्ग ग्राम बैलजूड़ी, तहसील काशीपुर के खसरा संख्या 593/1 पर अवैध रूप से निर्माण कराये जा रहे गेट को दिनांक 28.05.2025 तक हटाया जाना सुनिश्चित करे एवं सार्वजनिक रास्ते को बन्द कर वाहनों के आवागमन को रोके जाने से भी बाज आवे। साथ ही नगर निगम, काशीपुर, लोक निर्माण विभाग, काशीपुर को निर्देशित किया जाता है कि उक्त आदेश का अनुपालन दिनांक 28.05.2025 तक न होने पर दिनांक 29.05.2025 को बल पूर्वक प्रश्नगत अवैध गेट के निर्माण को ध्वस्त कर अनुपालन आख्या प्रस्तुत करें। तहसीलदार, काशीपुर एवं प्रभारी निरीक्षक, काशीपुर उक्त कार्य में प्रशासनिक एवं पुलिस सहयोग उपलब्ध करायें। उक्त आदेश की अवज्ञा के लिए भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 द्वारा उपबंधित शास्ति भोगनी पड़ेगी। वाद अनुपालन पत्रावली मा० अभिलेखागार संचित की जाय।

दिनांक 27-05-2025

(अभय प्रताप सिंह)
परगना मजिस्ट्रेट
काशीपुर।

आदेश आज दिनांक 27-05-2025 को हस्ताक्षरित एवं दिनांकित खुले न्यायालय में उद्घोषित किया गया।

31/81/CA
27/05/25

(अभय प्रताप सिंह)
परगना मजिस्ट्रेट
काशीपुर।

प्रतिलिपि - तहसीलदार काशीपुर महोदय को आदेश का अनुपालन कराये जाने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि - सहा० नगर आयुक्त, नगर निगम काशीपुर को आदेश का अनुपालन किये जाने हेतु।

प्रतिलिपि - प्र० निरीक्षक, थाना काशीपुर को आदेश का अनुपालन कराने हेतु।

प्रतिलिपि - अधि० अभि० लो०नि०वि०, काशीपुर को आदेश का अनुपालन करने हेतु।